राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–118/2024

पंकज कुमार मंगल

–अपीलार्थी

बनाम

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जी–3, राजमहल रेजीडेंसी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक, 22 गोदाम जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 24.01.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री इन्द्रेश शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 27.12.2023 (अनुलग्नक–1) को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन एपीओ निदेशालय से नगर पालिका, फागी में किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने बहस के दौरान दिये गये तर्को में यह तथ्य स्वीकार किया कि अपीलार्थी द्वारा नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।
4. अपीलार्थी द्वारा आलोच्य स्थानान्तरण आदेश की पालना में नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण किया जा चुका है, ऐसे में आदेश की पालना हो चुकी है। ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज की जाती है।
5. आदेश आज दिनांक 24.01.2024 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)